admission on special dispensation, amendment of Recruitment Rules, transfers against the guidelines, representation of employees on Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), its Board of Governors and Academic Advisory Councils, increase in internal promotion quota, removal of anomalies in fixation of pay, re-creation of cadre of Laboratory Assistants and admissibility of teaching allowance to them, introduction of more elective subjects, rationalisation of transfer guidelines, implementation of recommendation of Chattopadhyaya Commission and KVS Review Committee, etc.

(c) The issues raised will be examined.

Demand of AIKVTA for raising the amount of insurance

789. SHRI ASHOK NATH VERMA:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2336 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1989 and state:

(a) whether the All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association has demanded a rise in the amount for which different categories of Kendriya Vidyalaya Sangathan employees are insured under the Group Saving Linked Insurance Scheme; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) According to information received from Kendriya Vidyalaya Sangathan no such demand has been made by the All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association.

(b) Does not arise.

तोपों के नोदकों (प्रोपेलेंट) के निर्माण के लिये आयुद्ध कारखानों की स्थापना

790. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तोपों के नोदकों के निर्माण के लिए दो नये आयुद्ध कारखानों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया है; और

(ख) क्या इनमें से एक कारखाने को मध्य प्रदेश में सागर में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसे 1960 में आयुद्ध कारखाने की स्थापना के लिए चुना गया था परन्तु वहां इसे स्थापित नहीं किया गया था, उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है या जिन्होंने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सागर, मध्य प्रदेश में तोपों के लिए नोदकों (प्रोपेलेण्ट) के निर्माण हेतु किसी नई आयुद्ध निर्माणों की स्थापना करने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

791. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को विचारार्थ भेजी गई हैं ;

(ख) वे केन्द्रीय सरकार को किन-किन तिथियों को राज्य सरकार से प्राप्त हुई हैं ;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है

परन्तु सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किए गए हैं और प्रत्येक मामलों में आदेश जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा नामंजूर किया गया है ;

(ङ) प्रत्येक मामले में परियोजनाओं के नामंजूर किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) लम्बित योजनाओं के लिए स्वीकृति कब तक राज्य सरकार को दे दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजी गई परियोजनाएं और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण–1 में दी गई है । (नीचे देखिये)

(ग) मोहिनी पिक-अप वेयर और मोंगा सिंचाई परियोजनाओं पर सलाहकार समिति ने विचार कर लिया है और औपचारिक मंजूरी देने के बारे में कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) और (ङ) वानिकी दृष्टि से नामंजूर परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण –2 में दी गई है । (नीचे देखिये)

(च) पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होने पर अधिक से अधिक 6 सप्ताह के भीतर निर्णय ले लिया जाता है ।

विवरण– 1

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कब प्राप्त हुआ पर्यावरणीय मंजूरी देने के बारे में विचार की स्थिति		अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सिंध नदी चरण–2 परियोजना	28–8–78	मंजूर	
2.	राजघाट नहर परियोजना	2–5–79	मंजूर	
3.	माही परियोजना	2–4–80	मंजूर	
4.	माहन परियोजना	16–8–82	मंजूर	
5.	माही सहायक बांध	21–1–83	मंजूर	
6.	मान नदी परियोजना	30–11–82	मंजूर	
7.	कोलार परियोजना	25–12–78	मंजूर	
8.	बानसागर परियोजना	23–10–82	मंजूर	
9.	पेंच डायवर्सन परियोजना	28–5–81	मंजूर	
10.	जोबट बहुउद्देशीय परियोजना	28–4–83	मंजूर	
11.	नर्मदा सागर परियोजना	28–10–83	मंजूर	
12.	अपरा सिंचाई परियोजना	26–10–78	नामंजूर	पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण नामंजूर की गई ।
13.	एच०ए०पी० परियोजना	1–3–79	नामंजूर	
14.	पेयरी ऊंचा बांध और महानदी लिंक परियोजना	2–4–79	नामंजूर	
15.	भिरा खुर्द परियोजना	3–6–79	नामंजूर	
16.	रेहर परियोजना	3–9–80	नामंजूर	
17.	धनवार सिंचाई स्कीम	19–9–80	नामंजूर	
18.	पंचम नगर चरण-1 सिंचाई परियोजना	28–5–81	नामंजूर	
19.	रेणुका बांध बहुउददेशीय परियोजना	5–6–81	नामंजूर	
20.	महानदी जलाशय परियोजना चरण–2	2–9–81	नामंजूर	

1	2	3	4	5
21.	वारगी बांध परियोजना	11-1-82	नामंजूर	पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण नामंजूर की गई ।
22.	केन बहुउद्देशीय परियोजना	22-10-82	नामंजूर	
23.	उपरी बेनगंगा परियोजना	2-4-83	नामंजूर	
24.	रूथाई टैंक सिंचाई परियोजना	24-7-83	नामंजूर	
25.	ओंकारेश्वर बहुउददेशीय परियोजना	31-1-84	नामंजूर	
26.	बाह्य सिंचाई परियोजना	21-3-84	नामंजूर	
27.	बनास परियोजना	26-12-84	नामंजूर	
28.	ओरछा	19-6-86	नामंजूर	
29.	केलो परियोजना	30-11-79	नामंजूर	
30.	मोंग्रा परियोजना	19-6-89	नामंजूर	
31.	हलाली परियोजना	6-9-79	नामंजूर	
32.	धाबोतोरिया	दिसम्बर, 80	नामंजूर	
33.	देजला देवादा परियोजना	23-9-82	नामंजूर	

विवरण-2

क्र० सं०	परियोजना का नाम	नामंजूर करने की तारीख	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नामंजूर करने के कारण
1.	चुलकीधार टैंक	14-3-84	प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव
2.	संजय सागर मझौली सिंचाई परियोजना	30-8-88	
3.	भेसातोरी टैंक	16-7-85	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन एवं कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई ।
4.	बाघाडीह परियोजना	18-7-85	
5.	अमिलिया बांध	19-7-85	
6.	तामिलिया टैंक	6-11-85	
7.	सियादेही टैंक	6-11-87	
8.	परदरहा टैंक	18-7-85	
9.	छोर्च सिंचाई परियोजना	21-12-87	
10.	उरिदागांव टैंक	13-9-87	
11.	विजाहा टैंक	18-7-85	
12.	सुल्तानपुरा टैंक	19-9-87	
13.	गिरोधपुरी धाम टैंक	25-5-87	
14.	शावरीनाथ टैंक	2-4-85	
15.	चारूलाटैंक	26-12-89	वन की क्षति और पारिस्थितिकीय क्षति परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों के अनुरूप नहीं है ।
16.	महुआर मझौली सिंचाई परियोजना	26-12-89	
17.	बीखिली टोला	26-12-89	
18.	मोंग्रा सिंचाई परियोजना	26-4-90	
19.	पीरगढ़ सिंचाई परियोजना	26-12-89	